सत्यमेव जयते

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)

छठा तल, "बी" विंग, लोकनायक भवन,
खान मार्केट,
नई दिल्ली–110003

दिनांकः 03/06/2019

File No. Tour Programme/3/VC/2019/RU-III

सेवा में,

1. अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक,
   गेल भवन, 16 भीकाजी कामा प्लेस,
   आर के पुरम, नई दिल्ली – 110066

2. सहायक आयुक्त,
   आदिवासी विकास,
   जिला छिन्दवाड़ा,
   (म.प्र.)

3. जिला कलेक्टर,
   जिला छिन्दवाड़ा,
   (म.प्र.)

विषयः दिनांक 14.02.2019 से 18.02.2019 को माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा नागपुर (महाराष्ट्र) एवं छिन्दवाड़ा, (म.प्र.) में की गए दौरे का कार्यवृत ।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय दिनांक 14.02.2019 से 18.02.2019 को माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा नागपुर (महाराष्ट्र) एवं छिन्दवाड़ा, (म.प्र.) में की गए दौरे की रिपोर्ट प्रति संलग्न करते हुये अनुरोध है कि दौरे का कार्यवृत पर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें एवं कार्रवाई रिपोर्ट एक महीने के भीतर भिजवाने का कृपा करें।

भवदीय,

6/6/2019

(डॉ. ल[illegible] लट्टा)
निदेशक

प्रतिलिपिः

1. एस.ए.एस, एन.आई.सी, एन.सी.एस.टी वेबसाईट में अपलोड करें ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार

सुश्री अनुसुईया उइके,उपाध्यक्ष

प्रवास प्रतिवेदन

14 फरवरी 2019 से 18 फरवरी 2019 नागपुर एवं छिन्दवाड़ा

-:: TOUR REPORT ::-

-:: DATED 14/02/2019 TO 18/02/2019 {NAGPUR AND CHHINDWARA} ::-

1. दौरा करने वाले पदाधिकारियों के नाम	**सुश्री अनुसुईया उइके** **उपाध्यक्ष** राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार **सुश्री दीपिका खन्ना** **प्रभारी सहायक निदेशक** **क्षेत्रीय कार्यालय** **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग,** **भारत सरकार, भोपाल मध्यप्रदेश** **श्री जितेन्द्र कुमार सोलंकी** **उपाध्यक्ष के सहायक निज सचिव** **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार**
2. दौरा की तिथि, दिन, दिनाँक, वर्ष	**दिनाँक 14 फरवरी 2019** **से** **दिनाँक 18 फरवरी 2019 तक**
3. दौरा किये गये स्थान	**नागपुर (महाराष्ट्र)** **एवं** **छिन्दवाड़ा (मध्यप्रदेश)**
4. मुख्य व्यक्ति / अधिकारीगण एवं जिन संगठनों से मिले –	**निम्नानुसार**

1)	A.	**राजरत्न पुरूस्कार समारोह 2019 महल नागपुर** – माननीय श्री मोहन भागवत जी, सरसंघ चालक, राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ, भारत, माननीय श्री जितेन्द्रनाथ जी महाराज, पीठाधीश्वर श्रीनाथ मठ, अंजनगाँव सुरजी (महाराष्ट्र) श्रीमंत राजे रघुजी महाराज भोंसले, अध्यक्ष भोंसले प्रतिष्ठान, श्रीमंत डॉ.राजे मुधोजी भोंसले, श्री अजय भैयाजी महाराज, कार्यक्रम संयोजक, श्री किशनचंद, सचिव, ठाकुर किशोरसिंह बैस सहसचिव, सौं.राणी यशोधराराजे मु.भोंसले कोषाध्यक्ष, श्री एम.ए.कादर, डॉ. उदय बोधनकर, सदस्य, श्री जी.एस. पाटिलकर, श्री अवधेश बेलिया, श्री गीतेश पराडकर, श्री अंकित बत्रा, श्री रोहन बटाविया, **राजरत्न पुरूस्कार विजेता** श्री अविनाश पाठक, श्री स्वानंद गजानन पुंड, सौ.स्मिता राजन काटवे, श्री संतोष सालुंके, श्री जयंत हरकरे, श्री विष्णु मनोहर, कुमार अर्जुन कृष्णन नायर,श्री सार्थक सुखदेव धुर्वे एवं करीब 1000अन्य गणमान्य नागरिकगण।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

	B. **जन-जातीय परिवेश समन्वय केन्द्र, तामिया –** श्रीमती कांता ठाकुर, अध्यक्ष जिला पंचायत छिन्दवाड़ा, श्री सुनील उइके, विधायक, जुन्नारदेव, श्री उजरसिंह भारती, अध्यक्ष, जनपद पंचायत, तामिया, श्रीमति पूर्णीमा वर्मा, डॉ. नीरज मिश्रा, आई.आई. टी.,श्री विनोद कुमार, सुश्री गुंजन मिश्र, मैनेजर, गैल इंडिया लिमिटेड, सरपंच श्री अनिल भारती, उपसरपंच श्री बल्लू सोनी, सीईओ श्री शैलेंद्र यादव, नायब तहसीलदार श्री रत्नेश ठवरे, श्री भागचंद साहू, श्री सतीश मिश्रा, श्री राजेश राय, श्री विनोद अग्रवाल, श्री चंद्रशेखर श्रीवास, श्री मुकेश सोनी, श्रीमति तारा धुर्वे सहित अन्य जनजाति प्रतिनिधि करीब 200 उपस्थित हुए।

5. दौरे के मुख्य बिन्दु

A. राजरत्न पुरूस्कार समारोह, महल, नागपुर में सहभागिता।

B. जनजातीय परिवेश समन्वय केन्द्र, तामिया जिला छिन्दवाड़ा का शुभारंभ।

C. भारिया जनजाति के लिये अधिसूचित क्षेत्र बीजाढाना की जमीन पर्यटन विभाग द्वारा अधिग्रहित कर यूरेका कंपनी को लीज पर देने के प्रकरण का स्थल निरीक्षण।

D. जनजाति प्रतिनिधियों से भेंट कर उनके सुझाव एवं समस्याओं को सुना गया।

दिनाँक 14 फावरी 2019 राजरत्न पुरूस्कार समारोह, महल नागपुर

1. श्रीमंत राजे रघुजी महाराज भोंसले (प्रथम) बहुउद्देशीय स्मृति प्रतिष्ठान एवं महाराजा ऑफ नागपुर ट्रस्ट की ओर से महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभाशाली व्यक्तियों को सम्मानित एवं प्रोत्साहित करने के लिये भोंसले राजघराने की ओर से राजरत्न पुरूस्कार समारोह का प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में इस वर्ष 2019 में भी यह कार्यक्रम सीनियर भोंसला पैलेस महल नागपुर में आयोजित किया गया।
2. पुरूस्कार समारोह की अध्यक्षता माननीय **डॉ. मोहन भागवत जी, सरसंघ चालक, राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ** द्वारा की गई तथा कार्यक्रम का उदघाटन परमपूज्य आचार्य स्वामी श्री जितेन्द्रनाथ महाराज श्रीनाथ पीट पीठाधीश्वर, श्री देवनाथ मठ, सुर्जी अंजनगाँव अमरावती द्वारा किया गया।

(मा.श्री मोहन भागवत, स्वामी मा.श्री जितेन्द्रनाथ महाराज, मा.राजे रघुजी भोंसले, डा.मुधोजी भोंसले के साथ सुश्री अनुसुईया उइके जी उपाध्यक्ष, रा.अ.ज.जा.आ.)

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India

(मा.श्री मोहन भागवत, मा.श्री जितेन्द्रनाथ महाराज जी, मा.राजे रघुजी भोंसले, डा.मुधोजी भोंसले के साथसुश्री अनुसुईया उइके जी उपाध्यक्ष, रा.अ.ज.जा.आ.)

3. कार्यक्रम आयोजक राजरत्न पुरुस्कार समिति, श्रीमंत राजे रघुजी महाराज भोंसले बहुउद्देशीय स्मृति प्रतिष्ठान एवं महाराजा आफ नागपुर ट्रस्ट की ओर से विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य / उपलब्धियों के लिये प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया इस वर्ष निम्नानुसार व्यक्तियों को पुरुस्कृत / सम्मानित किया गया :-

A. **पत्रकारिता के क्षेत्र** में सराहनीय कार्य के लिये - श्रीमंत राजे रघुजी भोंसले की स्मृति में वरिष्ठ पत्रकार **श्री अविनाश पाठ्क,** नागपुर का सम्मान।

B. **इतिहास एवं साहित्य के क्षेत्र** में उल्लेखनीय कार्य के लिये - श्रीमंत राजे मुधोजी महाराज भोंसले (द्वितीय) उर्फ आप्पासाहेब की स्मृति में - श्री विद्यावाचस्वती श्री स्वानंद गजानन पुंड वणी यवतमाल को सम्मान।

C. **खेल के क्षेत्र में** उल्लेखनीय उपलब्धि के लिये - श्रीमंत राजे रघुजी भोंसले (चतुर्थ) की स्मृति में सौं.स्मिता राज काटवे, औरंगाबाद को सम्मान।

D. **सँस्कृति एवं कला** के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिये - श्रीमंत राजे फतेहसिंह राव महाराज भोंसले की स्मृति में श्री शिवशाहिर श्री संतोष सालंके, लातुर को सम्मान।

E. **पत्रकारिता के क्षेत्र में छायाचित्रण** के लिये - श्रीमंत राजे खंडोजी महाराज भोंसले उर्फ चिमा बापू की स्मृति में श्री जयंत हरकरे, प्रेस फोटोग्राफी के लिये सम्मान।

F. **वैशिष्टपूर्ण कार्य के लिये** - श्रीमंत राजे अजितसिंह महाराज भोंसले की स्मृति में - श्री विष्णू मनोहर, नागपुर को पुरुस्कार।

G. **वैशिष्टपूर्ण कार्य के लिये** (18 वर्ष से कम उम्र की श्रेणी में) - महाराणा प्रताप स्मरणार्थ श्री कुमार अर्जुन कृष्णन नायर, नागपुर को नृत्य में विशेष योग्यता के लिये सम्मान।

H. **वैशिष्टपूर्ण कार्य के लिये** (18 वर्ष से कम उम्र की श्रेणी में) - श्रीमंत छत्रपति राजे संभाजी महाराज भोंसले के स्मरणार्थ - श्री कुमार सार्थक सुखदेव, नागपुर को खेल में विशेष योग्यता के लिये सम्मान।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

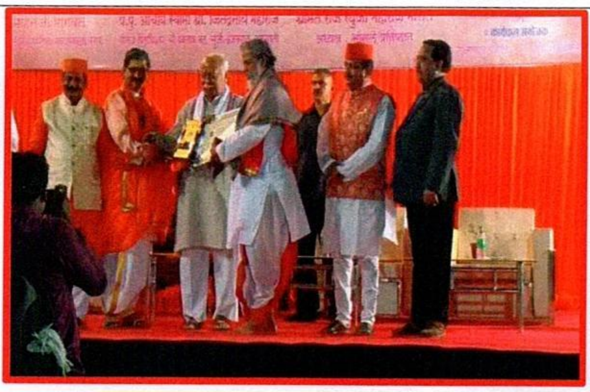

(मा.श्री मोहन भागवत, स्वामी मा.श्री जितेन्द्रनाथ महाराज, मा.राजे रघुजी भोंसले, डा.मुधोजी भोंसले पुरूस्कार प्राप्त करने वालों को सम्मानित करते हुए)

4. कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों को स्वामी श्री जितेन्द्रनाथ महाराज जी एवं मा.श्री मोहन भागवत जी द्वारा संबोधित किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने देश के उत्थान के लिये निस्वार्थ भाव से कार्य करने का आहवान किया। माननीय श्री मोहन भागवत जी ने मार्गदर्शित किया कि चर्चा गुणों की होना चाहिए और गुणों सम्मान किया जाना चाहिए। जैसा कि इस संस्थान द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वालों को पुरूस्कृत कर किया जा रहा है। अच्छे कार्य करने वाले दूसरों की निंदा नहीं करते, सत्पथ पर अपने साथ लोगों को ले जाने वाला ही सच्चा नेता होता है। सभी को राष्ट्रहित का ध्येय रखकर अपना कार्य करते हुए आगे बढना चाहिए और अच्छी बात यह है कि भारत में राष्ट्रहित का ध्येय अभी भी जीवित है।
5. मेरे द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित अन्य व्यक्तियों से मुलाकात कर जनजाति कल्याण के लिये उनके सुझाव एवं समस्याओं को सुना गया।

दिनॉक 16/2/2019 – जनजातीय परिवेश समन्वय केन्द्र तामिया का शुभारंभ

6. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार की कार्यप्रणाली, गतिविधियॉं, आयोग का लाभ जनजाति समाज के प्रभावित व्यक्ति किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। इन सब बातों का ज्ञान / जानकारी दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में निवासरत जनजाति व्यक्तियों को नहीं होती है। इसी प्रकार से शासकीय योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ वे कैसे उठा सकते हैं। लाभ प्राप्त करने की शासकीय प्रक्रिया इत्यादि की जानकारी भी ग्रामीणों को नहीं होती है। इस प्रकार के अनुभव विभिन्न क्षेत्रों के भ्रमण एवं जनजाति समुदाय से चर्चा में हुए हैं।
7. इस विषय पर निरंतर चिंतन किया जाता रहा है। इस बात का भी चिंतन किया गया है कि किस माध्यम से उक्त जानकारियॉं ग्रामीणों तक पहुँचाकर योजनाओं और आयोग की गतिविधियों का लाभ उन्हें दिलाया जाए। लाभ दिलाने के साथ ही साथ प्रक्रिया का अनुशरण भी किये जाने की भी आवश्यकता महसूस की गई है।
8. उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये गैल इंडिया के सी.एस.आर. मद की वित्तीय सहायता से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इन्दौर (मध्यप्रदेश) द्वारा शोध अध्ययन आधारित जनजातीय परिवेश समन्वय केन्द्र के माध्यम से एक परियोजना प्रारंभ करने का निर्णय किया गया। जिसका

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

सांकेतिक शुभारंभ दिनाँक 16 फरवरी 2019 को मध्यप्रदेश के जनजातीय बाहुल्य दूरस्थ ग्रामीण अंचल तामिया जनपद पंचायत के सभाग्रह में किया गया।

(जनजाति परिवेश समन्वय केन्द्र शुभारंभ अवसर पर मंचासीन एवं सभाकक्ष में उपस्थित प्रतिनिधियों के साथ सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, रा.अ.ज.जा.आ.)

9. कार्यक्रम के शुभारंभ में परियोजना के संचालक डॉ. नीरज मिश्रा, एसोसियेट प्रोफेसर एवं श्री विनोद पाराशर, शाधार्थी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इन्दौर द्वारा बताया गया कि प्रथम चरण में तीन ग्रामों का चयन कर कार्य प्रारंभ किया जा रहा है जिसमें ग्राम के योग्य युवाओं को प्रशिक्षित कर उनके माध्यम से जनजाति क्षेत्र की समस्याओं का आँकलन कर संबंधित शासकीय विभाग एवं आयोग को सूचित किया जायेगा। इसके साथ ही साथ योजनाओं एवं आयोग की गतिविधियों के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं के सुझाव भी प्रस्तुत किये जायेगें।
10. सर्व प्रथम मैंने अपने उदबोधन में कहा कि देश की 12 करोड जनजाति के संरक्षण के लिये जनजाति आयोग का गठन संवैधानिक प्रावधन के तहत किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन के उद्देश्य, संवैधानिक प्रावधान, आयोग के कार्य करने की कार्यप्रणाली, भारतीय संविधान में एवं भारत सरकार द्वारा जनजाति समाज के संरक्षण और उनके उत्थान के लिये किये गये प्रावधान, जनजाति समाज के लिये बनाए गए एक्ट, नियम कानून इत्यादि की विस्तार से जानकारी प्रदान की गई।
11. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की कार्य प्रणाली तथा जो प्रकरण आयोग को अपीलों के माध्यम से प्राप्त हुए और सुनवाई में तथा प्रवास के समय संबंधित अधिकारियों को दिये गये निर्देशों व अनुशंसाओं के परिणामस्वरूप सफल रहे ऐसे प्रकरणों के उदाहरण प्रस्तुत कर सभी उपस्थित जनजाति प्रतिनिधियों को जागरूक करने का प्रयास किया गया।
12. समन्वय केन्द्र के संबंध में मैंने कहा कि समन्वय केन्द जनजाति समाज तथा आयोग के मध्य समन्वयक का कार्य करेगा। उपस्थित व्यक्तियों का आहवान किया कि जिन व्यक्तियों को प्रथम चरण में प्रशिक्षण मिलेगा वे उस प्रशिक्षण के महत्वपूर्ण बातों से अन्य जनजाति व्यक्तियों को अवगत करावें। हमें अपने अधिकारों के लिये स्वंय जागरूक होने की आवश्यकता है। जब तक

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

हम जागरूक नहीं होगें तबतक हमें अपना अधिकार नहीं मिल सकता है। सरकार के प्रावधान हैं, व्यवस्था एवं तंत्र है किन्तु उसका लाभ लेने के लिये हमें आगे आकर अपना अधिकार प्राप्त करना होगा तभी हमारा सर्वागीण विकास संभव है।

(जनजाति परिवेश समन्वय केन्द्र तामिया के शुभरंभ अवसर पर उपस्थितों को संबोधित करते हुए सुश्री अनुसुईया उइके जी उपाध्यक्ष, रा.अ.ज.जा.आ.)

13. जनजाति प्रतिनिधियों अध्यक्ष जिला पंचायत छिन्दवाडा, जनपद पंचायत अध्यक्ष तामिया, विधायक जुन्नारदेव द्वारा अपने उदबोधन में एवं मुझसे व्यक्तिगत चर्चा में क्षेत्र की जिला प्रशासन से संबंधित कुछ समस्याएँ बताई जिनका विवरण इस प्रकार से है :-

a. आजीविका मिशन में जो राशि प्राप्त होती है वह पर्याप्त नहीं है उसे बढ़ाया जाना चाहिए।
b. क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के तहत मिलने वाली मजदूरी का भुगतान नहीं हो रहा है।
c. तामिया महाविद्यालय में में बी.एस.सी. एवं एम. काम. की कक्षाएँ प्रांरभ कराई जाय।
d. महाविद्यालय में प्राध्यापकों के पद रिक्त हैं, रिक्तपदों को शीघ्र भरा जाय।
e. तामिया में आई.टी.आई. नहीं है प्रारंभ कराई जाय।
f. तामिया क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था के लिये थानों की संख्या बढाई जाय।
g. तामिया क्षेत्र में बैंकिंग सुविधा पर्याप्त नहीं है, लहगडुआ, लोटिया, बम्हनी,चावलपानी में बैंक शाखा खोली जाय।
h. क्षेत्र में जाति प्रमाणपत्र के प्रकरण लंवित हैं, कैम्प लगाकर जाति प्रमाणपत्र बनाए जाय।
i. जाति प्रमाणपत्र बनाने के लिये 50 वर्ष के अभिलेखों के प्रस्तुतीकरण के नियम को शिथिल किया जाय।

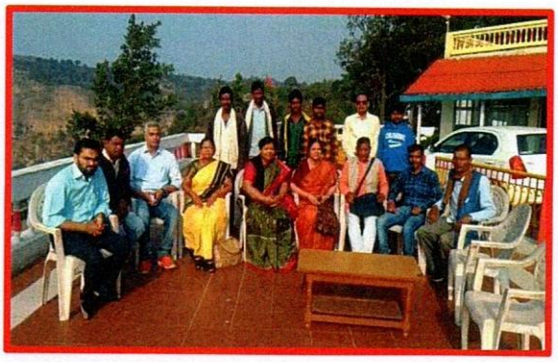

(तामिया छिन्दवाड़ा में जनजाति प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए सुश्री अनुसुईया उइके,उपाध्यक्ष, रा.अ.ज.जा.आ.)

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

भारिया जनजाति के लिये अधिसूचित क्षेत्र बीजाढाना की भूमि यूरेका कंपनी को लीज पर देने की शिकायत का स्थल निरीक्षण –

14. समाचार पत्रों एवं जन प्रतिनिधियों के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई थी कि भारिया जनजाति के लिये अधिसूचित क्षेत्र बीजाढाना के आदिवासी की भूमि का मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा अधिग्रहण कर यूरेका कंपनी, नई दिल्ली को लीज पर दे दी गई है। कम्पनी द्वारा इस भूमि पर फैसिंग लगाकर पातालकोट से आने जाने वाले जनजाति व्यक्तियों का रास्ता बंद कर दिया गया है और अब भूमि को विकसित कर उस पर व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है।

15. मेरे द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में उपरोक्त तथ्यों को सही पाया गया। तहसीलदार से जानकारी प्राप्त करने पर अवगत कराया गया कि इस प्रकरण की नस्तियाँ उनके कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। शासन स्तर से ही सम्पूर्ण कार्यवाही संपादित की गई है।

16. आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय की प्रभारी निदेशक द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा समाचार पत्र में छपे समाचार के आधार पर कलेक्टर, छिन्दवाड़ा से नोटिस के माध्यम से वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन मांगा गया है जो कि अप्राप्त है।

17. स्थल पर उपस्थित यूरेका कंपनी के कर्मचारी श्री भंडारी से पूछने पर उसके द्वारा बताया गया कि उसके पास बहुत अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं हैं। उसने केवल एक अनुबंध की प्रति उपलब्ध कराई गई जो कि मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम भोपाल के प्रबंध संचालक एवं यूरेका कंपनी के मध्य संपादित किया गया है।

18. निरीक्षण उपरांत निर्णय लिया गया कि सर्व संबंधित पक्षों यथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम, यूरेका कम्पनी, दिल्ली, कलेक्टर, छिन्दवाड़ा से प्रतिवेदन प्राप्त कर आयोग नियमानुसार सुनवाई की कार्यवाही की जाय।

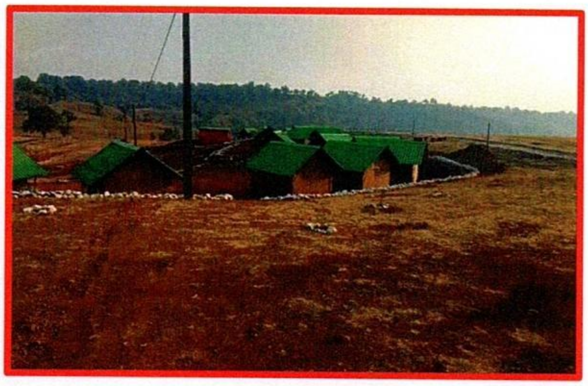

(जनजाति सदस्य की अधिग्रहित भूमि पर यूरेका कम्पनी दिल्ली द्वारा किये गये निर्माण कार्य का स्थल निरीक्षण करते हुए सुश्री अनुसुईया उइके,उपाध्यक्ष, रा.अ.ज.जा.आ.)

19. विभिन्न जनजाति संगठनों के पदाधिकारियों ने मुझसे व्यक्तिगत रूप से भेंट कर अपनी समस्याओं के ज्ञापन भी प्रस्तुत किये जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि :-

A. अध्यक्ष, वीरांगना रानी दुर्गावती आदिवासी विकास एवं उत्थान समिति छिन्दवाडा द्वारा, छिन्दवाड़ा में निर्मित हो रहे राष्ट्रीय आदिवासी संग्रहालय में आदिवासी किसान, बेरोजगार

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India

युवकों को कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण दिलाने का अनुरोध किया गया है। ज्ञापन को भारत सरकार जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री महोदय को आवश्यक कार्यवाही के लिये प्रथक से प्रेषित किया गया है।

6.	अनुवर्ती कार्यवाही किया गया एवं किसके द्वारा :	A. प्रतिवेदन के बिन्दु क्रमांक 13 में वर्णित ए से आई तक वर्णित समस्याओं पर संबंधित विभाग से आवश्यक कार्यवाही की अनुशंसा की जाती है। B. भारिया जनजाति के व्यक्ति की भूमि का अधिग्रहण कर यूरेका कम्पनी दिल्ली को लीज पर देने के प्रकरण को आयोग में दर्ज कर संबंधित अधिकारियों से प्रतिवेदन मंगाया जाय। कार्यवाही आयोग मुख्यालय नई दिल्ली एवं क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल

(सुश्री अनुसुईया उइके)
उपाध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार, नई दिल्ली

(दौरा करने वाले पदाधिकारी का हस्ताक्षर)

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi